न्यायालय सिविल जज, (जू0डि0), बीसलपुर, {पीलीभीत}

मूल वाद संख्या 48/2017

भूपेन्द्र कुमार —बनाम— नरायन लाल आदि।।

दिनांक 29.08.2019

पत्रावली पेश हुई। पुकारा गया। पुकार पर उभय पक्ष मय विद्वान अधिवक्ता सहित उपस्थित आये। वादी की ओर से प्रार्थना पत्र 24क इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी सं01 नरायन लाल की मृत्यु दिनांक 06.02.2019 को हो चुकी है। उनके विधिक वारिसान पूर्व से ही प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 05 के रूप में प्रस्तुत वाद में पक्षकार है। उक्त के अतिरिक्त प्रतिवादी संख्या 01 का कोई विधिक वारिसान नही है। अतः उनके नाम के समक्ष शब्द मृतक अंकित किया जाये। प्रार्थना पत्र 27ग अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम देरी मॉफी के लिए प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र शपथ पत्र 25ग से समर्थित है। प्रतिवादीगण की ओर से मौखिक आपत्ति में विलम्ब का प्रश्न उठाते हुए प्रार्थना पत्र हर्जे पर स्वीकार करने की याचना की गयी है। न्यायहित में तथा मुकदमें के अन्तिम निस्तारण हेतु प्रार्थना पत्र स्वीकार होने योग्य है। जहॉ तक विलम्ब का प्रश्न है तो उसकी क्षतिपूर्ति हर्जे द्वारा सम्भव है।

आदेश

प्रार्थना पत्र 24क व 27ग मु0 200/—रू0 हर्जे स्वीकार किया जाता है, वॉछित संशोधन अन्दर सप्ताह करें। पत्रावली वास्ते जिरह पी0डब्लू01 दिनांक 30.09.2019 को पेश हो।

सिविल जज, (जू0डि0),
बीसलपुर, पीलीभीत।